भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1561
20 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए प्रवेश

1561 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यूक्रेन से लौटे उन चिकित्सा छात्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें अपनी डिग्री को पूरा करने के लिए देश भर के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश दिया गया है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसे छात्रों के प्रवेश को सुकर बनाने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ऐसे छात्रों को कम से कम भारत में ही अपना प्रैक्टिकल और नैदानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): विदेशी मेडिकल छात्र / स्नातक "स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002" या "विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंस विनियम, 2021" के दायरे में आते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 और साथ ही विनियमों में मेडिकल छात्रों को किसी भी विदेशी चिकित्सा संस्थान से भारतीय मेडिकल कॉलेजों में समायोजित करने या स्थानांतरित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। एनएमसी द्वारा किसी भी विदेशी मेडिकल छात्र को किसी भी भारतीय चिकित्सा संस्थान/विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने या समायोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने एक योजना तैयार की है जिसके तहत ऐसे भारतीय छात्रों को विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जो अपने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे (जिन्हें कोविड-19, रूस-यूक्रेन युद्ध आदि के कारण अपना विदेशी चिकित्सा संस्थान छोड़ना पड़ा) और बाद में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और जिन्हें संबंधित संस्थान द्वारा 30 जून, 2022 या उससे पहले पाठ्यक्रम/डिग्री पूरी करने का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। उसके बाद, एफएमजी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, ऐसे छात्रों को, भारतीय परिस्थितियों में चिकित्सा की प्रैक्टिस से परिचित कराने तथा

नैदानिक प्रशिक्षण, जिसमें ये छात्र विदेशी संस्थान में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के दौरान भाग नहीं ले सके थे, उक्त प्रशिक्षण की भरपाई हेतु, दो वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (सीआरएमआई) करनी अपेक्षित है। विदेशी चिकित्सा स्नातक दो वर्ष की सीआरएमआई पूरा करने के बाद ही पंजीकरण करवा सकते हैं।

एनएमसी ने सार्वजनिक सूचनाएं भी जारी की है, जिसमें यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक गतिशीलता कार्यक्रम यानी सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित 29 देशों में से किसी एक में अन्य विश्वविद्यालयों के लिए अस्थायी स्थानांतरण (संघर्ष की अवधि के लिए) पर अपनी अनापत्ति व्यक्त की गई है। कुछ छात्रों ने शैक्षणिक गतिशीलता कार्यक्रम का विकल्प चुना है।

*****